

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-१, मुरादाबाद

अभियुक्त/प्रार्थी के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त प्रार्थी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

ए०सी०जे०एम० कोर्ट नं०-१
मुरादाबाद।